इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 9 | अप्रैल, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी.....8
बाजार की खबरें.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की खास बातें (3-5 अप्रैल 2024)

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3-5 अप्रैल 2024 को हुई। इसकी खास बातें नीचे दी गई हैं :

- रेपो दर बिना किसी बदलाव के 6.5% बनी रहेगी।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) बिना बदले 6.25% रखी गई है तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर एवं बैंक दर 6.75% रहेगी।
- 2024-25 हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वास्तविक वृद्धि 7% अनुमानित है।
- 2024-25 हेतु खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% अनुमानित है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में सावरेन ग्रीन बांड की खरीद-बिक्री की अनुमति दे दी गई है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एक मोबाइल एप लाएगा।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) वालेट उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों को अनुमति दी है
- भारतीय रिजर्व बैंक, नकद जमा करने की मशीनों (Cash Deposit Machine) में यूपीआई के जरिए नकद जमा करने की अनुमति देगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक, पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) से अन्य पक्ष एप के जरिए यूपीआई भुगतान की अनुमति देगा।
- बैंकों द्वारा तरलता जोखिम के बेहतर प्रबंधन की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे को सुधारेगा।
- लघु वित्त बैंकों को रुपया ब्याज डेरिवेटिव उत्पाद का सौदा करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत ढांचा लागू कर आरई हेतु एसआरओ को मान्यता तथा विनियामक अनुपालन का दायित्व

विनियमित निकायों (Regulated Entities) की संख्या, परिचालन स्तर, ग्राहकों तक पहुँच में अत्यधिक विस्तार तथा उनके द्वारा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के चलते, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरई हेतु स्व-विनियामक संगठनों (Self-Regulatory Organisations aka SROs) को मान्यता देने के लिए एक व्यापक ढांचा जारी किया है।

एसआरओ का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में होगा, किंतु इसके साथ वे विनियामक को यह सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे कि विनियामक दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है, पणधारकों के हित सुरक्षित हैं, नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा खतरे के संकेत जल्दी पकड़ लिए जाते हैं।

एसआरओ को कहा गया है कि विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा ज़िम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए वे विनियामक अनुपालन को बेहतर करें। उनका प्राथमिक दायित्व अपने सदस्यों में सर्वोत्तम कारोबारी प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा । इस दिशा में वे सदस्यों द्वारा पेशेवर व्यवसाय आचरण का पालन किए जाने हेतु न्यूनतम बेंचमार्क तथा प्रथाएँ तय करेंगे।

एसआरओ का पंजीयन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत, अलाभार्थ कंपनी के रूप में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त एसआरओ उस समय पर निर्धारित शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार कार्य करते रहेंगे। एसआरओ की सदस्यता ऐच्छिक एवं वैकल्पिक होगी।

सेबी के टी+1 निपटान चक्र से सौदों का शीघ्रतर निपटान

थोड़े ब्रोकरों हेतु शुरू में केवल 25 स्क्रिप के लिए वैकल्पिक आधार पर टी +0 निपटान चक्र का बीटा संस्करण शुरू करने हेतु सेबी द्वारा ढांचा लाने के साथ भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश है जहां लघु निपटान चक्र लागू है। प्रौद्योगिकी, अवसंरचना के महत्वपूर्ण विकास तथा एमआईआई (सभी स्टाक एक्सचेंज समाशोधन निगम तथा डिपाजिटरी जिन्हें 'मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन' का समूह कहा जाता है) की क्षमता,के साथ-साथ प्रतिभूतियों का तुरंत अंतरण एवं निधियों का तत्काल अंतरण कर पाने की भारत के डिपाजिटरी तंत्र की सामर्थ्य के चलते वैकल्पिक टी +0 निपटान चक्र की शुरुआत तथा इसके बाद वैकल्पिक तुरंत निपटान की व्यवस्था होनी है।

बाज़ार का ज्यादा भरोसा हासिल करने हेतु सेबी ने क्यूएसबी ढांचे का दायरा बढ़ा दिया है

सेबी ने क्यूएसबी ढांचे का दायरा बढ़ा दिया है ताकि और अधिक ब्रोकरों को बढ़े हुए दायित्वों के अधीन लाया जाए। एक स्टॉक ब्रोकर को क्यूएसबी ढांचे के तहत वर्गीकृत करने हेतु इस समय चार मानदंड लागू हैं जो हैं-सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या, स्टॉक ब्रोकर के पास ग्राहकों की कुल आस्तियां, स्टॉक ब्रोकर के सौदे की मात्रा (स्टॉक ब्रोकर के स्वत्व के सौदे की मात्रा को छोड़ कर) तथा स्टॉक ब्रोकर के सभी ग्राहकों के दिनांत मार्जिन दायित्व (सभी खंडों में स्टॉक ब्रोकर के स्वत्व वाले मार्जिन दावों को हटा कर)। अब यह वर्गीकरण करते समय अतिरिक्त मानदंड - स्टॉक ब्रोकर के स्वत्व के सौदे की मात्रा, अनुपालन तथा शिकायत निवारण स्कोर भी शामिल किए जाएंगे।

अतिरिक्त प्रकटन मानकों में राहत से कतिपय एफपीआई को लाभ

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors) द्वारा अतिरिक्त प्रकटन अनिवार्य करने के अगस्त 2013 के परिपत्र में संशोधन कर, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों में और ढील दी है। तदनुसार जिस एफपीआई के पास एक कॉर्पोरेट समूह में प्रबंधन के तहत इसकी भारतीय इक्विटी आस्तियां 50% से अधिक है, को अतिरिक्त प्रकटन करने से छूट दी गई है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंकों, एनबीएफसी हेतु एआईएफ मानकों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आशोधन

ऋणों की एवरग्रीनिंग के मद्देनजर, पूर्व में बैंकों तथा एनबीएएफसी को उन वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश करने से मना किया गया था जिनका ऐसे फर्म में एक्सपोजर हो जिसे वे पहले ही ऋण दे चुके हों। आरई को ऐसी एआईएफ योजनाओं में संपूर्ण निवेश हेतु 100% प्रावधान करने को कहा गया था। तथापि, अब आरई को विनियामकों से बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब उन्हें देनदार कंपनी में एआईएफ योजना द्वारा निवेश की गई राशि की सीमा तक ही प्रावधान करना होगा, न कि पूरी राशि हेतु। इसके साथ, निधियों की निधि तथा म्यूचुअल फंड जैसे मध्यवर्तियों के जरिए किए गए निवेश को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग कर दिया गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित विनियमन लागू; ग्राहक केंद्रीयता जरूरी

7 मार्च 2024 के प्रभाव से, विनियामक ने सभी क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जारीकर्ता बैंकों को धनराशि के उपयोग पर नज़र रखने हेतु समुचित प्रणाली स्थापित करने को कहा है। साथ ही, इन लिखतों को ग्राहकों के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य कर दिए गए हैं:

- ब्याज, भुगतानों/वापसियों/रिवर्स किए संव्यवहारों को समायोजित कर, केवल बकाया राशि पर लगेगा।
- क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता की वेबसाइट, बिल विवरण पर भुगतान के उन तरीकों की पूर्ण सूची दी गई होगी जिन्हें ग्राहक अपने क्रेडिट

कार्ड बकायों के भुगतान हेतु उपयोग कर सकता है।

- क्रेडिट कार्ड खाते को नामे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिप्रमाणन ढांचे के अनुसार ही नामे किया जाएगा, किसी अन्य तरीके/लिखत से नहीं।
- कारोबारी क्रेडिट कार्ड पर भुगतान का दायित्व कॉर्पोरेट या कारोबारी निकाय (अर्थात प्रिंसिपल / खाताधारक) का है। इसे ध्यान में रख, बकायों के भुगतान तथा वापसियों के समायोजन हेतु समय सीमा कार्ड जारीकर्ता तथा प्रिंसिपल खाताधारक द्वारा आपस में तय की जा सकती है।
- कार्ड जारीकर्ता अपने विवेक पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक/निष्क्रिय/स्थगित करने हेतु अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक परिचालन प्रक्रिया के जरिए ही होगा।
- किसी कार्ड को ब्लॉक/निष्क्रिय/स्थगित करने अथवा किसी कार्ड पर उपलब्ध लाभ को वापस लेने की जानकारी (उचित कारणों सहित) कार्डधारक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एसएमएस, ईमेल आदि) तथा अन्य उपलब्ध तरीकों से तुरंत दी जाए।
- कम से कम एक बार, ग्राहक को अपने बिलिंग चक्र की शुरुआती या अंतिम तारीख हेतु कोई तारीख चुनने का विकल्प मिलेगा।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा आंतरिक लोकपाल प्रणाली में सुधार का आह्वान

वार्षिक भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल सम्मेलन में बोलते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि भले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लोकपाल (आईओ) प्रणाली स्थापित की है, आईओ प्रणाली के संचालन में काफी सुधार की आवश्यकता है। ऋणदाताओं को याद दिलाते हुए कि वे समग्र शिकायत निवारण तंत्र में प्रथम संपर्क स्थल हैं, श्री दास ने कहा कि व्यथित ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के वैकल्पिक तंत्र के पास वापस भेजना उचित नहीं है। श्री दास ने ऋणदाताओं द्वारा अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने एवं धोखाधड़ियाँ होने से पहले ही प्रौद्योगिकी की मदद से उनका पता लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उनकी सलाह धोखाधड़ी पूर्ण लेनदेनों में वृद्धि तथा इनके संबंध में बढ़ती ग्राहक शिकायतों की पृष्ठभूमि में थी। आगे गवर्नर ने पहचान चुराने, धोखाधड़ी तथा कृत्रिम मेधा (एआई) के आने से बढ़ती, निजी डेटा तक अनधिकृत पहुँच जैसी साइबर सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र किया। ऐसी घटनाएँ कैसे ग्राहकों का भरोसा जल्दी तोड़ सकती हैं, की चेतावनी देते हुए गवर्नर ने ऋणदाताओं से कहा कि वे फिशिंग, फोन छल, डीपफेक्स तथा अन्य चुनौतियों के प्रति ग्राहकों को आगाह करें।

'इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली' से त्वरित निधि निपटान सुनिश्चित होगा, उपयोगकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा: भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने हाल में व्यापारियों को त्वरित निधि निपटान हेतु इंटरनेट बैंकिंग के लिए 'इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली' शुरू करने की घोषणा की। इंटरऑपरेबिलिटी विभिन्न डिजिटल प्रणालियों, अनुप्रयोगों तथा डेटाबेस को जोड़ने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की क्षमता से युक्त है। बैंकों, भुगतान गेटवे, प्रासेसर, मर्चेंट तथा उपभोक्ताओं के मध्य संबद्धता व डेटा साझा करने की सुविधा हेतु भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक का उपयोग करते हैं।

एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ (यूपीआई) प्रणाली का भारत में डिजिटल भुगतानों में सबसे अधिक योगदान है। 2023 में डिजिटल संव्यवहारों में यूपीआई भुगतानों का हिस्सा 80% था जो मात्रा के अनुसार 147% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है। इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लागू होने से डिजिटल भुगतानों में उपयोगकर्ताओं का विश्वास और बढ़ने की आशा है, इसके साथ व्यापारियों को त्वरित निधि निपटान की सुविधा मिलेगी।

2032 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी: भारतीय रिजर्व बैंक उप गवर्नर

क्योटो, जापान में नोमुरा के 40वें केंद्रीय बैंकर सेमिनार में बोलते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक उप गवर्नर डॉ माइकल देबब्रत पात्रा ने

कहा कि अपनी चुनौतियों से पार पाने हेतु भारत के पास जो ऊर्जा तथा बदलाव की शक्ति है, उससे अगले दशक में यह 10% की विकास दर अवश्य पा लेगा तथा 2032 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। डॉ पात्रा ने भारत की विकास यात्रा को दर्शाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अप्रैल 2023 व जनवरी 2024 के बीच भारत के लिए इसके पूर्वानुमान में कुल 80 बीपीएस की वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया जिसका आधार देश की अनुकूल जनसांख्यिकी, 2023 में रुपए का सबसे कम उतार-चढ़ाव वाली मुद्रा होना तथा प्रौद्योगिकी चालित बदलाव है। डॉ पात्रा ने कहा कि भारत का वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात 768 बिलियन अमरीकी डालर (वैश्विक योग के 2.4%) से बढ़कर 2030 तक वस्तुओं तथा सेवाओं प्रत्येक के निर्यात हेतु 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर (अथवा वैश्विक योग का 5%) होना चाहिए। आईटी व डिजिटल सेवाओं, मूल्ययोजित कृषि उत्पादों, उच्च मूल्य पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, खुदरा व ई-कामर्स में इसे संभव करने की अच्छी संभावना है। आखिर में उन्होंने टिकाऊ विकास हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने की चुनौती का उल्लेख किया। उन्होंने 26 देशों के सम्मेलन (कॉप 26) में व्यक्त, पर्यावरण हेतु भारत की निम्न प्रतिबद्धताओं को दुहराया : (1) 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता (2) कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा 50% होना (3) कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना (4) अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता में 45% की कमी लाना; और (5) 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचना।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी फरवरी 2024 की मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें:

- भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगातार तीसरी बार 8% से अधिक; वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में छः तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर।
- भारत का विनिर्माण पीएमआई दिसंबर 2023 में पाँच महीने में सर्वाधिक, 56.9 रहा। यह नए आदेशों तथा अनुकूल मांग दशाओं के कारण हुआ है।
- फरवरी 2024 में 9वें लगातार माह में गिरावट जारी रखते हुए कोर मुद्रास्फीति वित्तवर्ष 23 के 6.1% से घट कर वित्तवर्ष 24 (अप्रैल-फरवरी) में 4.4% पर आ गई।
- इंजीनयरिंग सामानों, इलेक्ट्रानिक्स, रसायनों, औषधियों, तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात ने फरवरी 2024 में भारत द्वारा वस्तुओं के निर्यात में 11.9% की वृद्धि दर्ज कराई।
- इस बीच, फरवरी 2024 में वस्तुओं का आयात बढ़ कर 12.2% हो गया। इससे व्यापार घाटा जो फरवरी 2023 में 16.6 बिलियन अमरीकी डालर था, बढ़कर फरवरी 2024 में 18.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- अमरीकी ट्रेजरी आय में बढ़ोत्तरी के चलते फरवरी 2024 में एफपीआई निवल क्रेता रहे, इस प्रकार 3-8 बिलियन अमरीकी डालर का अंतर्वाह दर्ज हुआ।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का जीडीपी में हिस्सा वित्त वर्ष 2022 के 29.6% से बढ़ कर वित्त वर्ष 2024 में 31.3% हो गया जो निवेश में वृद्धि दर्शाता है।
- एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 से एक वर्ष में भारत में खोले गए डीमेट खातों की संख्या में 38.6% की भारी वृद्धि हुई। भारत में खोले गए डीमेट खातों की संख्या बढ़कर फरवरी 2024 में 43.5 लाख पहुँच गई। इसके साथ, देश में कुल डीमेट खातों की संख्या अब 14.8 करोड़ है जो एक वर्ष पूर्व की अपेक्षा 31.7% अधिक है। उल्लेखनीय है की यह वृद्धि टियर II व टियर III शहरों से आई है।
- सुविधा व वित्तीय लचीलेपन के चलते वित्तवर्ष 24 की तीसरी तिमाही में यूपीआई के जरिए संव्यवहारों में वर्ष दर वर्ष 54.4% की वृद्धि हुई है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 मार्च, 2024 के दिन करोड रुपए	22 मार्च, 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5359608	642631	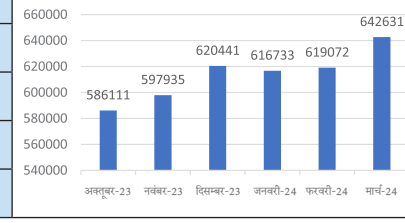
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4739393	568264	
1.2 सोना	429410	51487	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151946	18219	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38859	4662	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

यथा 28 मार्च 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – अप्रैल 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डालर	5.32
जीबीपी	5.1896
यूरो	3.906
जापानी येन	0.077
कनाडाई डालर	5.0200
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.45452

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.896
सिंगापुर डालर	4.0357
हांगकांग डालर	4.29380
म्यांमार रुपया	3.01
डैनिश क्रोन	3.5150

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

स्व -विनियामक संगठन (एसआरओ)

स्व -विनियामक संगठन (Self-Regulatory Organization aka SRO) गैर-सरकारी संगठन जैसे निकाय होते हैं जिन्हें स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने तथा व्यावसायिक विनियमों व मानकों को लागू करने की शक्ति प्राप्त हो। यद्यपि एसआरओ निजी संगठन होते हैं, तो भी वे एक सीमा तक, सरकार द्वारा लागू विनियमों के अधीन होते हैं। तथापि, सरकार स्व -विनियामक संगठनों पर कुछ तरह की निगरानियाँ नहीं रखती। चूंकि एसआरओ कुछ उद्योगों या व्यवसायों पर विनियामक प्रभाव रखता है, यह प्राय: धोखाधड़ियों या गैर-पेशेवर प्रथाओं के विरुद्ध निगरानीकर्ता का कार्य कर सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बीटा

बीटा किसी पोर्टफोलिओ अथवा प्रतिभूति में उतार-चढ़ाव या प्रणालीगत जोखिम का माप है। अलग-अलग पोर्टफोलिओ पर प्रणालीगत जोखिमों का जितना असर होता है, वह बाजार के साथ इसके संबंधो के कारण, पूरे बाजार पर पड़ने वाले इस असर से भिन्न होता है ।

बीटा गुणक बाजार प्रतिफल की तुलना में स्टाक या पोर्टफोलिओ के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को बताता है। बीटा की गणना का सूत्र है :

बीटा = Cov (X, Y) / Var (X)

जहां, Y आपके पोर्टफोलिओ या स्टाक पर प्रतिफल है, X बाजार या सूचकांक प्रतिफल है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों की एएफआई रिपोर्ट के अनुपालन हेतु कार्यनीति	16-17 अप्रैल 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलन पत्र अध्ययन तथा अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	16-18 अप्रैल 2024	
निवारक सतर्कता व धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	18-20 अप्रैल 2024	
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	18-20 अप्रैल 2024	
एमएसएमई वित्तपोषण पर कार्यक्रम	22-24 अप्रैल 2024	
प्रारंभिक क्रेडिट विश्लेषण पर कार्यक्रम	24-25 अप्रैल 2024	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	24-26 अप्रैल 2024	

संस्थान समाचार

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी www.iibf.org.in पर मिलेगी।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी www.iibf.org.in पर है।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग व फाइनेंस इयरबुक के तृतीय संस्करण, 2024 का विमोचन

आईआईबीएफ ने बैंकिंग व फाइनेंस इयरबुक का तृतीय संस्करण, 2024 जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त की दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत संग्रह है। अमेजॉन पर यह पेपरबैक तथा किंडल दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। इसे हमारे प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्रा) लि के खुदरा बिक्री केंद्रों से भी खरीदा जा सकता है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

अप्रैल-जून 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय "Risk Management in Banks-Beyond Regulations" रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है।

इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि:

1) संस्थान द्वारा मार्च 2024 से अगस्त 2024 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 31 दिसंबर 2023 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।
2) संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

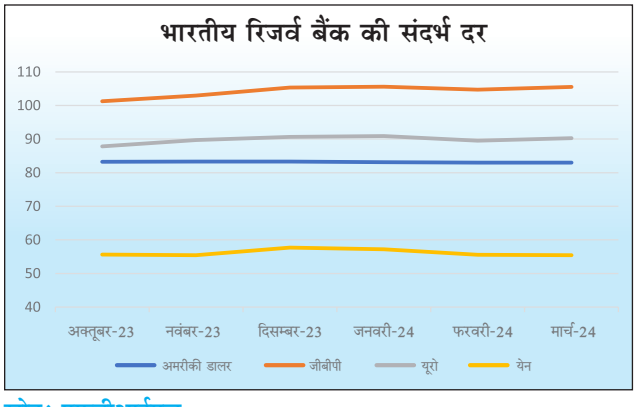

स्रोत: एफबीआईएल

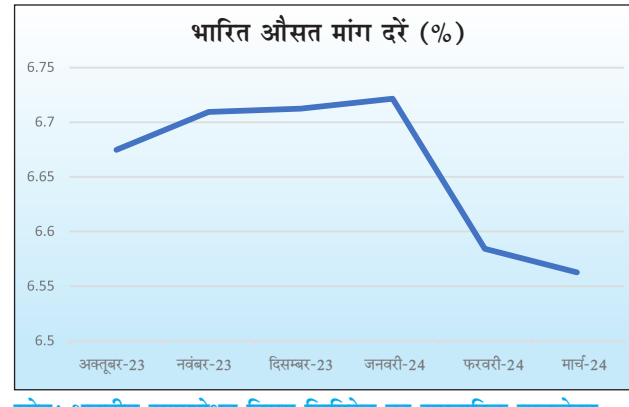

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

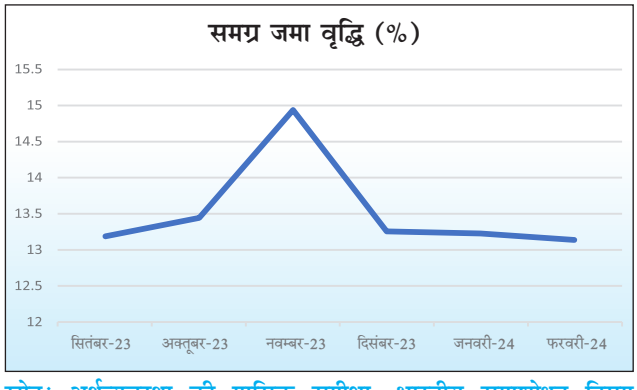

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2024

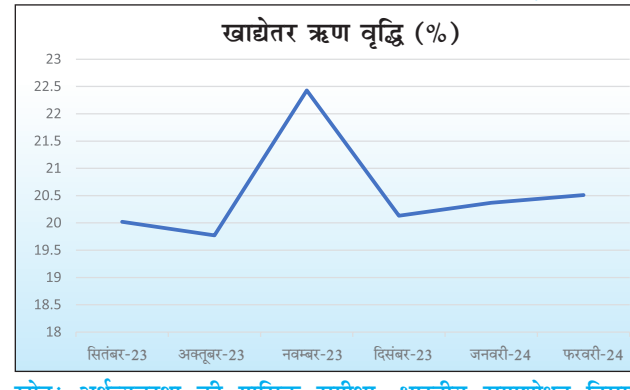

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2024

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

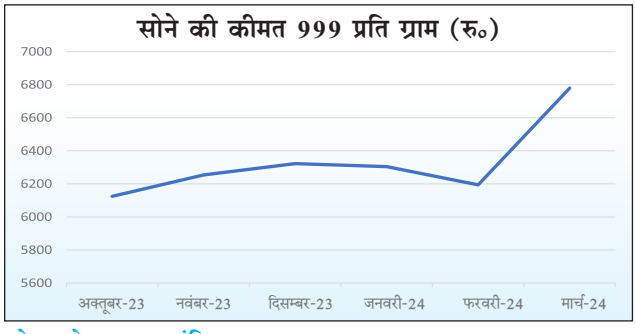

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

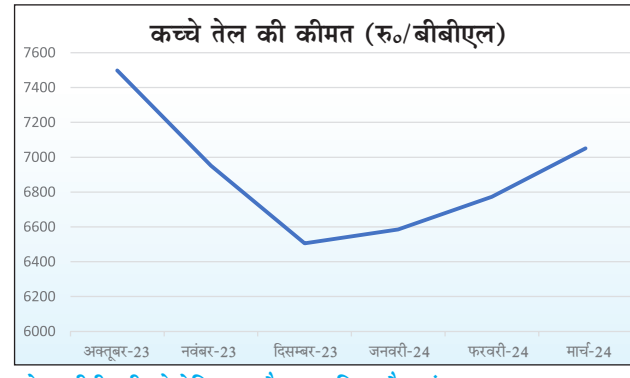

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

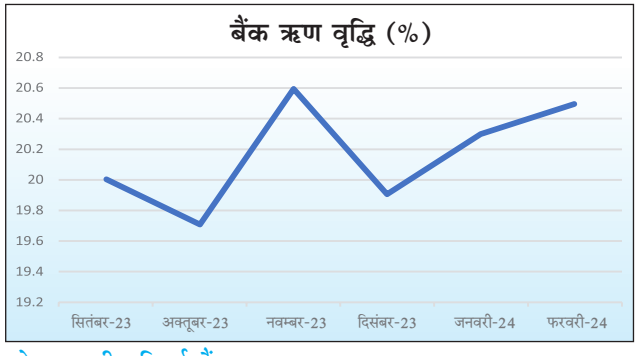

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

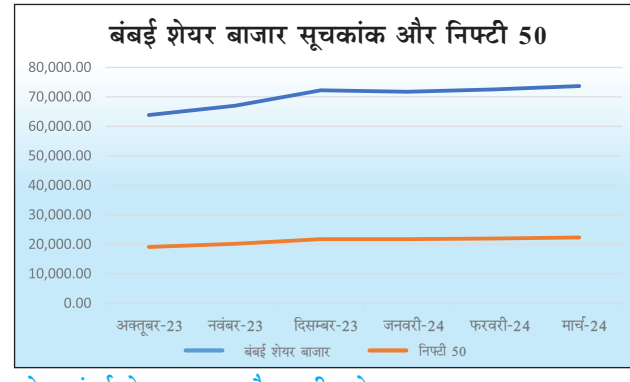

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in